रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092024-257475
CG-DL-E-25092024-257475

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, सोमवार , सितम्बर 23, 2024/आश्विन 1, 1946
No. 543] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024/ASVINA 1, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 17 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 585(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 (2000 का 21) की धारा 87की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय, राजपत्रित और अराजपत्रित पद भर्ती नियम,2009 को, जहां तक उनका संबंध उप नियंत्रक (अन्वेषण) और सहायक नियंत्रक (अन्वेषण) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांतकरते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक के कार्यालय में उप नियंत्रक (अन्वेषण) और सहायक नियंत्रक (अन्वेषण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय, उप नियंत्रक (अन्वेषण) और सहायक नियंत्रक (अन्वेषण) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**. – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं,आदि**. – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्विष्ट हैं।

5. **निरर्हता**.-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या

विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**.– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप नियंत्रक (अन्वेषण)।	*1 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 (144200 – 218200₹)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलनद्वारा: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वाशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 क (131100-216600/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है, अर्थातः- (i) अर्हताएं: इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या प्रौद्योगिकी में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

स्नातक डिग्री या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का 'बी' स्तर का कंप्यूटर प्रत्यायन पाठ्यक्रम या इंजीनियरी संस्थान का सहबद्ध सदस्य या इलेक्ट्रॉनिकी और और दूर संचार इंजीनियर संस्थान का स्नातक सदस्य या विज्ञान में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिकी और संचार या कंप्यूटर विज्ञान या संचार या कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा या कंप्यूटर अनुप्रयोग या साफ्टवेयर प्रणाली या सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रणालियों या सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन या सूचना विज्ञान या कंप्यूटर प्रबंधन या साइबर विधि के क्षेत्र में डाक्टरेट; और (ii) अनुभव: सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बीस वर्ष का अनुभव जिसमें से कंप्यूटर विधि विज्ञान में किसी घटना को संभालने या संपरीक्षा और जांच या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इनफ्रा की जांच और मूल्यांकन में निम्नलिखित कौशल के साथ न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव अर्थात्:- (क) कंप्यूटर विधि विज्ञान, किसी घटना को संभालने और लोक प्रमुख अवसंरचना फ्रेमवर्क के अधीन संपरीक्षा या जांच की विधियों की गहन जानकारी; (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के विधिक और विनियामक ढांचे की सुदृढ जानकारी; (ग) साइबर धोखाधड़ी की जांच का प्रबंधन करने की संवेदनशील जानकारी और गोपनीयता बनाए रखने की प्रदर्शित योग्यता; (घ) सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ विश्लेषणकारी और समस्या समाधान योग्यता; और (ङ) सूचना सुरक्षा, कंप्यूटर विधि विज्ञान, सूचना प्रणालियों की जांच और संपरीक्षा करने के क्षेत्र में प्रमाणित व्यवसायी।		

(iii) वांछनीय अर्हता: साइबर विधि या साइबर सुरक्षा या साइबर विधि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । **टिप्पण 1:** पूर्वोक्त क्षेत्रों में विज्ञान में मास्टर डियी या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष तक शिथिल की जाएगी; और पूर्वोक्त क्षेत्रों में डाक्टरेट रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक नियंत्रक (अन्वेषण)।	*1(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 क (131100 – 216600₹)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वाशासी निकाय सा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900/- ₹)या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200/- ₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् सात वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है, अर्थातः- (i) अर्हताएं : इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का 'बी' स्तर का कंप्यूटर प्रत्यायन पाठ्यक्रम या इंजीनियरी संस्थान का सहबद्ध सदस्य या इलेक्ट्रॉनिकी और दूर संचार इंजीनियर संस्थान का स्नातक सदस्य या विज्ञान में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिकी और संचार या कंप्यूटर विज्ञान या संचार या कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा या कंप्यूटर अनुप्रयोग या साफ्टवेयर प्रणाली या सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रणालियों या सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन या सूचना विज्ञान या कप्यूटर प्रबंधन या साइबर विधि के क्षेत्रों में डाक्टरेट; और (ii) अनुभव:	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अठारह वर्ष का अनुभव जिसमें से कंप्यूटर विधि विज्ञान में किसी घटना को संभालने या संपरीक्षा और जांच या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इनफ्रा की जांच और मूल्यांकन में निम्नलिखित कौशल के साथ न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव अर्थात्:- (क) कंप्यूटर विधि विज्ञान औजार, किसी घटना को संभालने की प्रक्रिया और लोक प्रमुख अवसंरचना फ्रेमवर्क के अधीन संपरीक्षा या जांच की विधियों की सुविज्ञता; (ख) इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार और साइबर सुरक्षा से संबंधित सुसंगत विधियों, विनियमों और मानकों का कार्यशील ज्ञान; (ग) नीतिपरक हैकिंग के औजार और तकनीक पर कार्यशील ज्ञान; (घ) सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ विश्लेषणकारी और समस्या समाधान योग्यता; और (ङ) सुसंगत क्षेत्र में, जैसे सूचना सुरक्षा, कंप्यूटर विधि विज्ञान, सूचना प्रणालियों की जांच और संपरीक्षा करने में प्रमाणित व्यवसायी। (iii) वांछनीय अर्हता: साइबर विधि या साइबर सुरक्षा या साइबर विधि विज्ञान में स्नातकोतर डिप्लोमा । **टिप्पण 1:** पूर्वोक्त क्षेत्रों में विज्ञान में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष तक शिथिल की जाएगी;और पूर्वोक्त क्षेत्रों में डाक्टरेट रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से		

अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 01 (08)/2023-पी.III]

भुवनेश कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2024.

G.S.R. 585(E). — In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and in supersession of the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Controller of Certifying Authorities, Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the posts of Deputy Controller (Investigation) and Assistant Controller (Investigation), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Deputy Controller (Investigation) and Assistant Controller (Investigation) in the office of Controller of Certifying Authorities, under the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Office of Controller of Certifying Authorities, Deputy Controller (Investigation) and Assistant Controller (Investigation) Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** — These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** — The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** — No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non- selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Deputy Controller (Investigation).	*1 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**

By deputation (including short-term contract)/ absorption.	**Deputation (including short-term contract)/ absorption:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organization or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b)possessing the following qualifications and experience, namely:- (i) Qualifications: Bachelor Degree in Engineering or Bachelor Degree in Technology or Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses 'B' Level or Associate	Not applicable.	Not applicable.

	Member of Institute of Engineers or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers, or Master Degree in Science or Master in Computer Application or Master Degree in Engineering or Technology, or Doctorate in the field of Electronics or Electronics and Communication or Computer Sciences or Communication or Computer and Networking Security or Computer Application or Software System or Information Technology or Information Systems or Information Technology Management or Informatics or Computer Management or Cyber Law; and (ii) Experience: Twenty years experience in the field of Information Technology with minimum two years of experience in incident handling computer forensics or audit and investigations or testing and evaluation of Information and Communication Technology infra with following skill set, namely:- (A) in-depth knowledge of computer forensics, incident handling and audit or investigations methodologies under Public Key Infrastructure framework; (B) strong understanding of		

	legal and regulatory frameworks of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); (C) demonstrated ability to manage investigations of cyber fraud, handle sensitive information and maintain confidentiality; (D) strong analytical and problem-solving skills in the domain of Information Security; and (E) certified professional in the field of Information Security, computer forensics, Investigation and auditing of Information Systems. (iii) Desirable qualification: Postgraduate Diploma in Cyber Law or Cyber Security or Cyber Forensics. **Note 1:** Two years relaxation shall be given for the candidates having Master Degree in Science or Master in Computer Application or Master Degree in Engineering or Master Degree in Technology of the above fields; and five years relaxation shall be given for the candidates having Doctorate degree in the above fields. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held		

	immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Controller (Investigation).	*1 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract)/ absorption.	**Deputation(including short term contract)/absorption**: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organization or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or Department; or	Not applicable.	Not applicable.

	(iii) with seven years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:- (i) Qualifications: Bachelor Degree in Engineering or Bachelor Degree in Technology or Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses 'B' Level, or Associate Member of Institute of Engineers of Graduate Institute of Electronics and Telecommunications Engineers, or Master Degree in Science or Master in Computer Application or Master Degree in Engineering or Technology, or Doctorate in the field of Electronics or Electronics and Communication or Computer Sciences or Communication or Computer and Networking Security or Computer Application or Software System or Information Technology or Information Systems or Information Technology Management or Informatics or Computer Management or Cyber Law; and (ii) Experience: Eighteen years experience in the field of Information Technology with minimum two years of experience in incident handling computer forensics or audit and investigations or testing and evaluation of Information and Communication Technology infra with the following skill set, namely:-		

	(A) familiar with computer forensic tools, incident handling procedures and audit or investigative techniques under Public Key Infrastructure framework; (B) working knowledge of relevant laws, regulations, and standards related to electronic transactions and cyber security; (C) working knowledge on tools and techniques of Ethical Hacking; (D) strong analytical and problem-solving skills in the domain of Information Security; and (E) certified professional in the relevant field, such as Information Security, Computer forensics, Investigation and Auditing of Information Systems. (iii) Desirable qualification: Postgraduate Diploma in Cyber Law or Cyber Security or Cyber Forensics. **Note 1:** Two years relaxation shall be given for the candidates having Master Degree in Science or Master in Computer Application or Master Degree in Engineering or Master Degree in Technology of the above fields; and five years relaxation shall be given for the candidates having Doctorate Degree in the above fields. **Note 2:** The period of deputation(including short-term contract)including the period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post		

	held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 01(08)/2023-P.III]
BHUVNESH KUMAR, Addl.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA